/210314/2024

I/210314/2024

<u>वित्तीय स्वीकृति</u>

संख्याः– / IT-BUD/ITDA/5/2024-XXXIV-1 (ई–72353)

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
आहरण वितरण अधिकारी,
उत्तराखण्ड शासन।

सूचना प्रौद्यो0, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्यो0 अनुभाग–01 देहरादून : दिनांक 14 मई, 2024

विषयः–क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क (स्वान) के संचालन के लिये फैसिलिटी मैनेजमेन्ट सेवाओं के भुगतान हेतु बजट अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–23 के लेखाशीर्षक–3425–अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 60–अन्य, 600 अन्य सेवायें, 03–क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क (स्वान) का क्रियान्वयन, 27–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान मद में प्राविधानित धनराशि रू0 1200.00 लाख (रू0 बारह करोड़ मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 600.00 लाख (रू0 छः करोड़ मात्र) निम्नलिखित शर्तों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने तथा व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उक्त धनराशि आहरित कर निदेशक, आई0टी0डी0ए0 को उपलब्ध करा दी जायेगी तथा आई0टी0डी0ए0 द्वारा आहरित धनराशि का व्यय वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप ही किया जायेगा।
2. उक्त धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व कार्यकारिणी समिति (Executive Committee) का अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया जाय।
3. तकनीकी प्रकृति के कार्य के निर्धारण के सम्बन्ध में Specifications निर्धारित करते समय आवश्यकतानुसार ही Norms निर्धारित किये जाने तथा प्रतिस्पर्धा को प्रमोट करते समय Rigidity से बचा जाय एवं Rate Reasonability और Economy/मितव्ययता के सम्बन्ध में यथालागू वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
4. धनराशि का व्यय करते समय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों, वित्तीय नियमों, बजट मैनुअल के प्राविधानों, समय–समय पर जारी मितव्ययता सम्बन्धी नियमों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये उत्तराखण्ड में लागू उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अधीन समस्त प्रक्रियाएं पूर्ण की जाएंगी।
5. स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र उपयोग/विचलन कदापि न किया जाए।
6. आंवटित धनराशि के सापेक्ष व्यय का उपयोगिता प्रमाण–पत्र दिनांक 31.03.2025 तक शासन

को उपलब्ध कराया जाएगा।

7. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–23 के लेखाशीर्षक–3425–अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 60–अन्य, 600 अन्य सेवायें, 03–क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क (स्वान) का क्रियान्वयन, 27–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान मद के नामे डाला जायेगा।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक–22.03.2024 में निहित प्राविधानों तथा बजट आवंटन अनुदान सं0–23 के अलॉटमेन्ट आई0डी0 सं– S240502300 04, H240502300 18, दिनांक– 14.05.2024 के द्वारा जारी किए जा रहा है।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय,

Signed by Shailesh
Bagauli
Date: 10-05-2024 13:11:04

(शैलेश बगौली)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक उक्तवत्
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. - महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. - निदेशक, कोषागार एवं वित्तीय सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. - निदेशक, आई0टी0डी0ए0, देहरादून।
4. - केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
5. - सचिवालय प्रशासन, लेखा, उत्तराखण्ड शासन।
6. - वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
7. - गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 आशीष कुमार श्रीवास्तव)
अपर सचिव।